

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्**  
**Council of Scientific and Industrial Research**  
**२, रफ़ी मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१**  
**2, Rafi Marg, New Delhi-110001**  
**(नवाचार प्रबंधन निदेशालय)**  
**(Innovation Management Directorate)**

**कार्यालय ज्ञापन**

**No. 30/GB-SciEthics/2021-CSIR**

**जून 28, 2021**

**विषय : विज्ञान और शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर दिशानिर्देश CSIR Guidelines for Ethics in Science and Governance - पांच सीएसआईआर क्लस्टरों (CSIR Clusters) के लिए लोकपाल (ombudsman) का नामांकन – reg.**

1. In order to ensure strict compliance and implementation of the CSIR Guidelines for Ethics in Science and Governance at CSIR, DG CSIR is pleased to approve the nomination of ombudsman for five CSIR Clusters as below:

सीएसआईआर में विज्ञान और शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, महानिदेशक, सीएसआईआर ने नीचे दिए गए पांच सीएसआईआर क्लस्टरों के लिए लोकपाल के नामांकन को मंजूरी दी है:

सी एस आई आर क्लस्टर CSIR Cluster	क्लस्टर में सी एस आई आर प्रयोगशालाएं Laboratories in the Cluster	नामांकित लोकपाल Ombudsman Nominated
Biological Sciences जीव विज्ञान (11 CSIR laboratories) (११ सी एस आई आर प्रयोगशालाएं)	CSIR-CCMB CSIR-CDRI CSIR-CFTRI CSIR-CIMAP CSIR-IGIB CSIR-IHBT CSIR-IICB CSIR-IIIM CSIR-IITR CSIR-IMT CSIR-NBRI	Dr Shobhona Sharma, Retd. Senior Professor, Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai डॉ शोभोना शर्मा (सेवानिवृत्त) वरिष्ठ प्रोफेसर, टी आई एफ आर, मुम्बई
Chemical Sciences रसायन विज्ञान (9 CSIR laboratories) (९ सी एस आई आर प्रयोगशालाएं)	CSIR-CECRI CSIR-CIMFR CSIR-CLRI CSIR-CSMCRI CSIR-IICT CSIR-IIP CSIR-NCL CSIR-NEIST CSIR-NIIST	Prof. Uday Maitra, Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru प्रोफेसर उदय मैत्रा आई आई एस सी बेंगलुरु
Engineering Sciences अभियांत्रिकी विज्ञान (10 CSIR Laboratories) (१० सी एस आई आर प्रयोगशालाएं)	CSIR-AMPRI CSIR-CBRI CSIR-CGCRI CSIR-CMERI CSIR-CRRI	Dr. Rama Govindarajan, International Centre for Theoretical Sciences (ICTS), Bengaluru डॉ रमा गोविंदराजन

	CSIR-IMMT CSIR-NAL CSIR-NEERI CSIR-NML CSIR-SERC	आए सी टी एस बेंगलुरु
Physical Sciences भौतिक विज्ञान (5 CSIR laboratories) (५ सी एस आई आर प्रयोगशालाएं)	CSIR-CEERI CSIR-CSIO CSIR-NGRI CSIR-NIO CSIR-NPL	Prof. Dhananjai Pandey, Indian Institute of Technology (IIT-BHU), Varanasi प्रोफेसर धनञ्जय पाण्डेय आई आई टी-बी एच यू बनारस
Information Sciences सूचना विज्ञान (4 CSIR laboratories) (४ सी एस आई आर प्रयोगशालाएं)	CSIR-NIScPR CSIR-4PI CSIR-URDIP CSIR-TKDL Unit	Prof. Manindra Agrawal, Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur प्रोफेसर मनिन्द्रा अग्रवाल आई आई टी कानपुर

2. The suggested terms of reference for the Ombudsman are:

२. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाए गए विचारार्थ विषय होंगे :

क) लोकपाल उन शिकायतों की वृद्धि की जांच करेगा जिनका या तो समाधान नहीं किया गया है या संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला द्वारा अनुपयुक्त रूप से निपटाया गया है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, या सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा संदर्भित कोई विशिष्ट मामला ।

– वैज्ञानिक कदाचार की जांच प्रयोगशाला स्तर पर वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी) द्वारा की जाएगी । प्रयोगशाला स्तर पर केवल अनसुलझे मामलों, सहायक साक्ष्यों के साथ आधार योग्यता, सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा सिफारिश के लिए संबंधित विषय समूह के लोकपाल को भेजा जाएगा ।

a) The Ombudsmen would investigate escalations of complaints that have either not been solved or appear to have been poorly or inappropriately handled by the concerned CSIR constituent against which the complaint has been lodged, or any specific cases referred by DG, CSIR.

---The scientific misconduct would be investigated by Scientific Investigation Board (SIB) at the laboratory level. Only unresolved cases at the laboratory level, basis merit with supporting evidences, would be referred by Director General, CSIR to an Ombudsman of concerned subject group for recommendation.


ख) लोकपाल को स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी) और सीएसआईआर प्रयोगशाला/सीएसआईआर मुख्यालयों के नैतिकता अधिकारी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी । आवश्यकता पड़ने पर लोकपाल को संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/सीएसआईआर मुख्यालयों द्वारा मामलों पर सचिवाला के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

b) The Ombudsman would be provided necessary support by Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC) and Ethics Officer of the CSIR laboratory/CSIR Hqs. When required, the Ombudsman would be provided secretarial as well as technical assistance on the cases by the concerned CSIR laboratory/CSIR Hqs.

ग) यदि आवश्यक हो तो लोकपाल किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ का समर्थन ले सकता है ।

c) The Ombudsman may take the support of any technical expert, if so required.

- घ) लोकपाल सीएसआईआर प्रणाली के भीतर नियमों के आवेदन के समग्र सामंजस्य के लिए घनिष्ठ तालमेल और एक समूह के रूप में काम कर सकता है ।
- d) The Ombudsmen may work in close synergy and as a group, for an overall coherence of application of rules, within the CSIR system.
- ड) लोकपाल का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा।
- e) The term of the Ombudsman will be for a period of 3 years.
३. सीएसआईआर नियमों के अनुसार बैठकों के लिए लोकपाल को मानदेय और टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा और इससे संबंधित खर्च सीएसआईआर मुख्यालय वहन करेगा।
3. The Ombudsman will be paid honorarium and TA/DA for the meetings, as per CSIR Rules, and the expenditure related to the same will be borne by CSIR Hqs.

  
28/6/21

(आर पी सिंह)  
प्रमुख, नवाचार प्रबंधन निदेशालय  
(R.P. Singh)  
Head, Innovation Management Directorate

प्रति:

Copy to:

1. उपरिलिखित लोकपाल- सी एस आई आर क्लस्टर्स Ombudsman-CSIR clusters as above निदेशक, सी एस आई आर प्रयोगशालाएं; Directors of CSIR Laboratories
2. निजी सचिव-महानिदेशक, सी एस आई आर ; संयुक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार एवं केंद्रीय सतर्कता अधिकारी PS to DG, CSIR; JS, CSIR; FA, CSIR; and CVO, CSIR
3. सी एस आई आर हेडक्वार्टर--विभागों के प्रमुख; All HODs of CSIR Hq
4. कार्यालय प्रति office copy